

झारखण्ड सरकार
उद्योग निदेशालय

कार्यालय आदेश

दिनांक 21.06.2019 को उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रांची स्तर पर गठित अराजपत्रित कर्मियों से संबंधित गठित स्थापना समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रांची एवं नियंत्रणाधीन विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों/ कोटि नियंत्रण कार्यालय, रांची में कार्यरत/ पदस्थापित विभिन्न संवर्ग के निम्नलिखित कर्मियों को उनके नाम के सम्मुख कठिका-4 में अंकित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम0	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	स्थानांतरित/ प्रतिनियुक्त कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1.	श्री निर्मल कुमार उद्योग विस्तार पदाधिकारी	जिला उद्योग केन्द्र, दुमका	जिला उद्योग केन्द्र चाईबासा कैम्प कार्यालय, जमशेदपुर
2.	श्री अनिल कुमार कर्ण उद्योग विस्तार पदाधिकारी	जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा	जिला उद्योग केन्द्र, दुमका
3.	श्री सुशील कुमार बरियार उद्योग विस्तार पदाधिकारी	जिला उद्योग केन्द्र, रांची	जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद
4.	श्री रमाकान्त चतुर्वेदी उद्योग विस्तार पदाधिकारी	जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद	जिला उद्योग केन्द्र, रांची
5.	श्री सुभाष चन्द्र दास उद्योग विस्तार पदाधिकारी	जिला उद्योग केन्द्र, गुमला प्रतिनियुक्त, जि0उ0के0, रांची	जिला उद्योग, केन्द्र, हजारीबाग
6.	श्री मनोज कुमार सिंह उद्योग विस्तार पदाधिकारी	जियाडा प्रक्षेत्र, दुमका	जिला उद्योग केन्द्र, देवघर
7.	श्री अनिल कुमार शर्मा अर्थ अन्वेषक	जिला उद्योग केन्द्र, लोहरदगा	जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह
8.	श्री दिलीप कुमार गुप्ता अर्थ अन्वेषक	जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा	जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग
9.	श्री नन्दलाल राम कनीय सांख्यिकी सहायक	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रांची	जिला उद्योग केन्द्र धनबाद
10.	श्री सचिन्द्र शरण कनीय सांख्यिकी सहायक	जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद	उद्योग निदेशालय रांची
11.	श्री सुधीर कुमार आशुलिपिक/आशुटकक	जिला उद्योग केन्द्र, गुमला	जिला उद्योग केन्द्र, रांची प्रतिनियुक्त मुख्यमंत्री सचिवालय
12.	श्री विजय कुमार आशुलिपिक/आशुटकक	जिला उद्योग केन्द्र, रांची	जिला उद्योग केन्द्र, पलामू
13.	श्री मनोहर राज जोशी आशुलिपिक/आशुटकक	कोटि नियंत्रण कार्यालय, रांची	जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद
14.	श्री सुरेन्द्र चौधरी आशुलिपिक/आशुटकक	जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद	जिला उद्योग केन्द्र, साहेबगंज



15.	श्री किशन विश्वकर्मा उच्च वर्गीय लिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग	जिला उद्योग केन्द्र, रांची, प्रतिनियुक्त उद्योग निदेशालय, रांची
16.	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव उच्च वर्गीय लिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, रांची	जिला उद्योग केन्द्र, दुमका
17.	श्री आलोक रंजन सिंह निम्न वर्गीय लिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, दुमका	जिला उद्योग केन्द्र, साहेबगंज
18.	श्री सुरेश कुमार वर्मा स्वागत सहायक	जिला उद्योग केन्द्र, दुमका	जिला उद्योग केन्द्र गुमला
19.	श्री अनुग्रह कुमार आशुलिपिक/आशुटकक	जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा	जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग
20.	श्री अरुण कुमार आशुलिपिक/आशुटकक	जिला उद्योग केन्द्र, दुमका	जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा
21.	श्री श्रवण कुमार सिंह आशुलिपिक/आशुटकक	जिला उद्योग केन्द्र, लोहरदगा	जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह
22.	श्री धनन्जय कुमार सिन्हा आशुलिपिक/आशुटकक	जिला उद्योग केन्द्र, पलामू	जिला उद्योग केन्द्र, रांची
23.	श्री गौतम बुद्ध प्रसाद आशुलिपिक/आशुटकक	जिला उद्योग केन्द्र हजारीबाग	जिला उद्योग केन्द्र पलामू
24.	श्री अनन्त कुमार आशुलिपिक/आशुटकक	जिला उद्योग केन्द्र, देवघर	जिला उद्योग केन्द्र, दुमका
25.	श्री शैलेश प्रसाद सिंह आशुलिपिक/आशुटकक	जिला उद्योग केन्द्र, रांची	उद्योग निदेशालय झारखण्ड, रांची
26.	श्री अनिल कुमार कर्ण प्रधान लिपिक	जिला उद्योग केन्द्र, देवघर	जिला उद्योग केन्द्र रांची

2- श्रीमती निशात जाकिया, स्वागत सहायक का कैम्प कार्यालय, जमशेदपुर में, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा द्वारा की गयी प्रतिनियुक्ति अगले आदेश तक सम्पुष्ट की जाती है।

3- उक्त स्थानांतरित कर्मी अपने स्थानांतरित कार्यालय में योगदान समर्पित करेंगे एवं तदनुसार माह जुलाई 2019 से वेतनादि का भुगतान स्थानांतरित कार्यालय से होगा।


4- संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानीय व्यवस्था के तहत अविलम्ब स्थानांतरित कर्मी को विरमित करेंगे, ताकि संबंधित कर्मी स्थानांतरित स्थान पर ससमय योगदान समर्पित कर सकें।

5- सभी नियंत्री पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि निर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।




6- क्रमांक 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 एवं 26 पर अंकित कर्मियों का स्थानांतरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति उनके अभ्यावेदन/ अनुरोध/चिकित्सा के आधार पर किया गया है। अतः इन्हें स्थानांतरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति कर्मियों को स्थानांतरण यात्रा भत्ता/अनुदान देय नहीं होगा।

7- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(जिशन, कुमारे)
निदेशक उद्योग
उद्योग निदेशालय

ज्ञापांक 1270 रांची/दिनांक 25-06-2019
01/उ0नि0/स्थानांतरण/बैठक-02/2013


प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रांची/ कोषागार पदाधिकारी, रांची/लोहरदगा/गुमला/पलामू/चाईबासा/हजारीबाग/धनबाद/गिरिडीह/देवघर/दुमका/गोड्डा/साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक उद्योग
उद्योग निदेशालय

ज्ञापांक 1270 रांची/दिनांक 25-06-2019
01/उ0नि0/स्थानांतरण/बैठक-02/2013

प्रतिलिपि:

1. उप उद्योग निदेशक(लेखा), उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रांची।
2. प्रबंध निदेशक, जियाडा/ क्षेत्रीय निदेशक, जियाडा औद्योगिक प्रक्षेत्र, दुमका एट देवघर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रांची/लोहरदगा/गुमला/पलामू/चाईबासा/हजारीबाग/धनबाद/गिरिडीह/देवघर/दुमका/गोड्डा/साहेबगंज एवं कोटि नियंत्रण कार्यालय, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सचिव, उद्योग के आप्त सचिव/निदेशक उद्योग (कोषांग), झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक उद्योग
उद्योग निदेशालय।